



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012023-243180
CG-DL-E-24012023-243180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]
No. 47]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2023/माघ 3, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2023/MAGHA 3, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2023

सं. बीईई/एस एंड एल/डब्ल्यूएम/06/22-23.— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (एन) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो), केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाॅशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम 2023, के प्रस्तावित मसौदा को अधिसूचित करने का प्रस्ताव करता है, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, में इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए और उनके सुझावों और आपत्तियों (यदि कोई हो) को आमंत्रित करने के लिए विनियमों को प्रकाशित किया जाता है।); और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर भारत के राजपत्र, असाधारण में उनके प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, को महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथी मंजिल, सेवा भवन, उत्तर विंग, सेक्टर-1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 और ब्यूरो के ई-मेल पते dg-bee@nic.in पर भी भेजा जा सकता है;

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाॅशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका), विनियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा:- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" का अर्थ है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52);

(ख) "फॉर्म" का अर्थ इन विनियमों से जुड़ा हुआ फॉर्म है;

(ग) "लेबल" का अर्थ है कोई भी लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या ग्राफिक सामग्री जो वाशिंग मशीन पर चिपकाई गई है या दिखाई दे रही है;

(घ) "लेबल अवधि" का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के तहत प्रति चक्र ऊर्जा खपत प्रति किलोग्राम की वैधता अवधि है:

हालांकि, लेबल की वैधता अवधि समाप्त होने तक, यदि अधिनियम की धारा 14(क) के तहत नए ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को अधिसूचित नहीं किया जाता है तो मौजूदा मानकों को तब तक वैध माना जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार के द्वारा नए मूल्यों को अधिसूचित नहीं किया जाता है;

(ङ.) "अनुज्ञप्तिधारक" का अर्थ उस व्यक्ति या एजेंसी से है जिसे विनियम 7 के तहत लेबल लगाने की अनुमति दी गई है;

(च) "वाशिंग मशीन" का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट एक उपकरण है;

(छ) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर" का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति चक्र ऊर्जा खपत के आधार पर वाशिंग मशीन के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड है। एक स्टार के अंतराल में उपलब्ध स्टार कम से कम एक और अधिकतम पांच के मध्य हैं।

(ज) किसी भी वाशिंग मशीन के संबंध में "व्यापारी या विक्रेता" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो ऐसी वाशिंग मशीन को बेचता या वितरित करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, निर्माता और अनुज्ञप्तिधारक शामिल हैं जिन्हें ऐसी वाशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई है।

(झ) "अनुसूची" का अर्थ इन विनियमों से जुड़ी अनुसूची है;

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां परिभाषित नहीं हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके अर्थ क्रमशः अधिनियम में निर्धारित अर्थ में होंगे।

3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण - (1) प्रत्येक वाशिंग मशीन पर उसके लेबल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे अर्थात्:-

(क) स्टार स्तर;

(ख) ऊर्जा दक्षता व्यूरो का लोगो;

(ग) उपकरण का नाम;

(घ) वाशिंग मशीन का प्रकार;

(ङ.) ब्रांड/बनाना;

(च) निर्माण या आयात का मॉडल/वर्ष;

(छ) भार क्षमता;

- (ज) पानी की खपत;
- (झ) अद्वितीय लेबल श्रृंखला कोड;
- (ञ) लेबल अवधि।

(2) लेबल का डिज़ाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

4. लेबलों को प्रदर्शित करने की समय सीमा—

- (1) स्वैच्छिक से अनिवार्य व्यवस्था में परिवर्तन- इन नियमों के लागू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के अंदर प्रत्येक वाशिंग मशीन पर विनियम 3 में निर्दिष्ट सभी विवरणों वाला एक लेबल प्रदर्शित किया जाएगा।
- (2) अनिवार्य ऊर्जा प्रदर्शन मानकों का संशोधन- अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक या व्यापारी या विक्रेता-
 - (क) वाशिंग मशीन का उत्पादन पिछले ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के अनुसार नहीं होगा;
 - (ख) वाशिंग मशीन संशोधित स्टार स्तर और संशोधित ऊर्जा खपत मानक के साथ लेबल अवधि और संशोधित ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में वाशिंग मशीन का निर्माण वर्ष प्रदर्शित करेगी;
 - (ग) डीलरों, खुदरा विक्रेताओं के बारे में सभी आरंभिक उपाय, उनकी शिक्षा के साथ-साथ उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए आवश्यक प्रचार सहित सभी प्रारंभिक कदम सुनियोजित हों और की जाने वाली कार्रवाई तीन महीने पहले की जाती है।

5. लेबल के प्रदर्शन का तरीका -

- (1) प्रत्येक वाशिंग मशीन पर लेबल होगा जो बिक्री स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा और ऐसे लेबल को वाशिंग मशीन पर निम्नलिखित तरीके से चिपकाया जाएगा अर्थात्: -
 - (i) लेबल प्रत्येक उपकरण के सामने के डिस्प्ले पर मजबूती से चिपका होना चाहिए और विनियम 3 के उप-विनियम (2) में संदर्भित अनुसार आसानी से दिखाई देना चाहिए और अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करेगा कि लेबल प्रत्येक पंजीकृत इकाई या मॉडल के डिस्प्ले पर, बिक्री या किराए के लिए पहचान के उद्देश्य के लिए दिखाई दे और लेबल को इकाई या मॉडल वाले आवरण के बाहरी हिस्से में भी मुद्रित या चिपकाया जाएगा।
 - (ii) लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होगा। अनुसूची के लिए आवश्यक चिह्न सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होंगे।
- (2) जो इकाइयां प्रदर्शन के लिए नहीं हैं, उन पर भी लेबल को मुद्रित या आवरण के बाहरी हिस्से में चिपकाया जा सकता है और यह लेबल इकाई या मॉडल से जुड़ा हो सकता है जब इकाई या मॉडल को इसकी पैकेजिंग से हटाया जाता है या लेबल को ग्राहक या उपयोगकर्ता को दिए गए दस्तावेज़ का एक हिस्से के रूप में शामिल किया जा सकता है।

6. लेबल प्रदर्शित करने के लिए अनुमति - (1) ब्यूरो से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना वाशिंग मशीन पर कोई स्टार लेबल नहीं लगाया जाएगा।

(2) कंपनी पंजीकरण - उप-विनियम (1) के तहत ब्यूरो की अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, पंजीकरण हेतु फॉर्म 1-क में आवेदन, निर्दिष्ट प्रत्येक ब्रांड के लिए अलग से किया जाएगा), जिसके साथ एक लाख रुपये की राशि लेबल सुरक्षा जमा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय स्वीकार्य होगी:

हालांकि लघु उद्योग के मामले में, लेबल सुरक्षा शुल्क पच्चीस हजार रुपये ही होगा।

(3) मॉडल पंजीकरण - उप-विनियम (2) के तहत अनुज्ञप्तिधारक के प्रत्येक आवेदन के साथ-

(क) भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय प्रति मॉडल दो हजार रुपये का आवेदन शुल्क; और

(ख) भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय एक लाख रुपये का लेबल सुरक्षा शुल्क:

हालांकि लघु उद्योग के मामले में लेबल सुरक्षा शुल्क केवल पच्चीस हजार रुपये होगा; और

(क) फॉर्म 1 - (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज।

7. अनुमति प्रदान करना - (1) विनियम 6 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर और संतुष्ट होने के बाद कि उसमें सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, ब्यूरो दिशा (मानक और लेबलिंग पर ब्यूरो के संचालन मैनुअल) में निर्दिष्ट अवधि के अंदर ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जैसा कि विनियम 8 में विनिर्दिष्ट है, अनुमति दे सकता है -

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म 2 - (क) में ब्रांड को पंजीकृत करें; और

(ख) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फॉर्म 2 - (ख) में वाशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुमति दें।

(2) ब्यूरो फॉर्म 3 में एक रजिस्टर बनाएगा और उसमें अनुमति प्राप्तकर्ता का नाम दर्ज करेगा।

(3) उप-विनियम (1) के तहत दी गई अनुमति उस अवधि के लिए वैध होगी जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा निर्दिष्ट स्टार स्तर प्रभावी हो।

(4) स्टार रेटिंग योजना के संशोधन के मामले में, अनुमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन, अनुज्ञप्तिधारक द्वारा इसकी समाप्ति से अधिकतम एक महीने पहले किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय एक हजार रुपये का शुल्क होगा।

हालांकि, स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपये के उक्त नवीनीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी।

(5) वैधता अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी आवेदन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, इस मामले में अनुज्ञप्तिधारक नए सिरे से आवेदन करेगा।

(6) उप-विनियम (4) के तहत नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और संतुष्ट होने के बाद कि सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर फॉर्म 2 (ख) में अनुमति का नवीनीकरण कर सकता है।

(7) अनुज्ञप्तिधारक जो वाशिंग मशीन के मौजूदा मॉडल पर उस तारीख से लेबल लगाना जारी रखने की अनुमति चाहता है, जिस तारीख से संशोधित स्टार स्तर लागू होता है, केवल फॉर्म 4 में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि वाशिंग मशीन के नए मॉडल को संशोधित स्टार लेबल के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए लॉन्च करने की योजना है तो अनुज्ञप्तिधारक नए सिरे से लेबल लगाने की अनुमति मांगेगा और इस तरह की अनुमति के लिए आवेदन, संशोधित स्टार स्तर लागू होने से छह महीने पहले किया जा सकता है।

8. लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने के लिए नियम और शर्तें:- प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी एवं विक्रेता लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने में निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् -

(क) प्रश्रीतक के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रश्रीतक के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होंगे;

(ख) यह लेबल प्रश्रीतक के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा ली गई है;

- (ग) लेबल को अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर मुद्रित और प्रशीतकों पर चिपकाया जाएगा;
- (घ) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशीतक के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बना रहेगा;
- (ङ) अनुज्ञापत्रधारी विनियम 9 में यथा विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
- (च) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो को विवरण मुहैया कराएगा जिसमें लेबल लगे उपकरणों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित माह के अंदर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण हो;
- (छ) अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो को अपने लेबल लगे उत्पादों के विक्रय के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अधिकृत वितरकों, डीलरों और थोक विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की सूची मुहैया कराएगा;
- (ज) ऐसे अन्य नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे जो ब्यूरो द्वारा, मानक और लेबल लगाने की के संबंध में ब्यूरो की प्रचालन पुस्तिका में निहित नियमों एवं शर्तों सहित विनिर्दिष्ट किए गए हों;

9. लेबल शुल्क - (1) वाशिंग मशीन पर चिपकाए गए प्रत्येक लेबल के लिए प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक ब्यूरो को भारतीय रुपये 30/- (तीस रुपये केवल) के लेबल शुल्क का भुगतान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत निर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से एक महीने के अंदर किया जाएगा:

हालांकि कि निर्दिष्ट अवधि के अंदर लेबल शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खंड (ख) के तहत भुगतान किए गए लेबल सुरक्षा जमा से दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय राशि की वसूली कर सकता है और यदि जमा करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के अंदर पूर्ण लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं किया जाता है तो ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारक को दी गई लेबल की अनुमति को रद्द कर सकता है और अनुज्ञप्तिधारक का नाम राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक में, डिफॉल्टर के तौर पर, प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल सुरक्षा शुल्क की वापसी - विनियम 9 के उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अधीन, वाशिंग मशीन का निर्माण बंद करने पर, कोई भी अनुज्ञप्तिधारक लेबल सुरक्षा जमा राशि की वापसी का हकदार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन - (1) ब्यूरो या इसकी नामित एजेंसी या तो स्वतः या इसके द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन कर सकती है कि वाशिंग मशीन स्टार स्तर और इसके लेबल पर प्रदर्शित अन्य विवरणों के अनुरूप है और यह अनुमति के अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन करती है।

सभी परीक्षणों में धुलाई प्रदर्शन, खंगालने का प्रदर्शन, ऊर्जा खपत, पानी की खपत और जल निष्कर्षण प्रदर्शन (अवशिष्ट जल सामग्री) शामिल हैं।

(2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो या उसकी नामित एजेंसी द्वारा, जैसा वह उचित समझे, यादृच्छिक रूप से विनिर्माण सुविधा, गोदाम या रिटेल आउटलेट से नमूने लिए जाएंगे।

(3) जहां, उप-विनियम (1) के तहत प्राप्त शिकायत पर, ब्यूरो को परीक्षण और जांच प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला में, वाशिंग मशीन का परीक्षण करके, परीक्षण का सत्यापन करना आवश्यक है, -

- (क) ब्यूरो इस तरह के परीक्षण करने के लिए फॉर्म 5 में अनुज्ञप्तिधारक को नोटिस जारी करेगा और शिकायतकर्ता को, नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन और ब्यूरो के साथ अन्य प्रासंगिक खर्चों से संबंधित ऐसे खर्च, ऐसे समय के अंदर, जैसा कि ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जमा करने के लिए कहा जाएगा।

(ख) यदि चुनौती परीक्षण के तहत लिया गया नमूना विफल हो जाता है तो नमूने की लागत, नमूने के परिवहन और परीक्षण शुल्क के सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ब्यूरो को की जाएगी और ब्यूरो शिकायतकर्ता को पूर्वोक्त खर्च वापस कर देगा; और

(ग) जहां उपकरण चुनौती परीक्षण में सफल हो जाता है तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए खर्च को जब्त कर लिया जाएगा।

(4) जहां, उप-विनियम (1) के तहत प्राप्त शिकायत पर, यदि अनुज्ञप्तिधारक उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट इस तरह के खर्च को ऐसे समय के अंदर जमा करने में विफल रहता है तो ब्यूरो-

(क) उप-विनियम (3) में संदर्भित वाशिंग मशीन के सत्यापन को चुनौती परीक्षण द्वारा जारी रखेगा; और

(ख) विनियम 6 के तहत प्राप्त आवेदन की प्रक्रिया को तब तक स्थगित रखा जा सकता है जब तक कि इस तरह के व्यय को जमा नहीं किया जाता है।

(5) जहां परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वाशिंग मशीन के नमूने स्वतः परीक्षण या चुनौती परीक्षण के दौरान परीक्षण में विफल हो जाते हैं, ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारक को एक और अवसर प्रदान करेगा और स्वतंत्र परीक्षण में, पहले परीक्षण में उपयोग की गई वाशिंग मशीन की दोगुनी मात्रा के साथ दूसरा परीक्षण अनुज्ञप्तिधारक की लागत पर उस प्रयोगशाला में करेगा जो उस प्रयोगशाला से अलग हो जहां पहला जांच परीक्षण किया गया था और जो परीक्षण और जांच प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त होगी। ब्यूरो उप-विनियम (3) में संदर्भित चुनौती परीक्षण या उप-विनियम (4) में संदर्भित दूसरे परीक्षण और नमूने की खरीद और परीक्षण के लिए किए जाने वाले खर्चों को देखने के लिए फॉर्म 5 में अनुज्ञप्तिधारक को सूचित करेगा।

(6) जहां दूसरा परीक्षण विफल हो जाता है, ब्यूरो, -

(क) सभी राज्य नामित एजेंसियों को सूचना के तहत फॉर्म 6 में अनुज्ञप्तिधारक को निर्देश दें कि दो महीने की अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारक, -

(i) वाशिंग मशीन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को सही करें या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करें;

(ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और

(iii) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरणों को बदलें;

(ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी अनुज्ञप्तिधारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विशिष्टताओं को किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी अन्य तरीके से जैसा वह उचित समझे, दो महीने के अंदर प्रकाशित करें;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुज्ञप्तिधारक और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित राज्य नामित एजेंसी को सूचित करें।

(7) अनुज्ञप्तिधारक उप-विनियम (6) में निर्दिष्ट दो महीने की अवधि के समापन के दस दिनों के अंदर -

(क) निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में फॉर्म 7 में अनुपालन रिपोर्ट ब्यूरो को भेजें; और

(ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट निर्दिष्ट अवधि के अंदर किसी भी निर्देश का अनुपालन किए बिना प्राप्त होती है या प्राप्त नहीं होती है तो इसे जारी किए गए निर्देश का अनुपालन नहीं माना जाएगा और इस आशय के आदेश ब्यूरो द्वारा पारित किया जाना है।

(8) ब्यूरो उप-विनियम (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट की एक प्रति और उप-विनियम (6) के खंड (ख) में पारित आदेश, आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी राज्य नामित एजेंसियों को, अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्रवाई करने और उक्त उप-विनियम के खंड (ख) के तहत पारित आदेशों का प्रवर्तन के उद्देश्य से भेजेगा।

(9) जहां अनुज्ञप्तिधारक ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (5) के तहत जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, ब्यूरो सभी राज्य नामित एजेंसियों को सूचना के तहत -

(क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के तहत अनुज्ञप्तिधारक को दी गई अनुमति को वापस ले लें;

(ख) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विफलता के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजें। केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के तहत विचार करने और कार्रवाई करने हेतु उप-विनियम (7) के खंड (क) के बारे में ब्यूरो संदर्भित करे;

(ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी अनुज्ञप्तिधारक का नाम, ब्रांड का नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्देश को दो महीने के अंदर, किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से जैसा कि वह उचित समझे, प्रकाशित करें;

(घ) अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुज्ञप्तिधारक और व्यापारी के खिलाफ आगे की कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित राज्य नामित एजेंसियों को सूचित करें।

12. अनुमति रद्द करना - ब्यूरो विनियम 7 के तहत दी गई अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञप्तिधारक-

(क) विनियम 8 के तहत निर्दिष्ट किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है;

(ख) विनियम 9 के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर लेबल शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है;

(ग) विनियम 11 के तहत जारी निर्देश का पालन नहीं करता है।

हालांकि कोई अनुमति तब तक रद्द नहीं की जाएगी जब तक कि अनुज्ञप्तिधारक व्यक्ति को इस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./573/2022-23]

फार्म 1-(क)
[विनियम 6(2) देखें]

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर मुद्रित किया जाना है)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के तहत वाशिंग मशीन के ब्रांड के पंजीकरण के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110 066 भारत.

मैं/हम वाशिंग मशीन का निर्माता/के निर्माता हूँ/हैं, जो यहां (व्यवसाय का पूरा पता) (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम)..... शैली के तहत, कारोबार कर रहा है/रहे हैं। इसके द्वारा वाशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन कर रहे हैं जैसाकि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन पर लेबल के उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2023 में ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट है।

उपकरण, कंपनी, निर्माण सुविधा और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण अनुबंध क-1 में दिया गया है। फर्म या सोसायटी के रजिस्ट्रार या उद्योग के निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी या फर्म के नाम और उसके निर्माण परिसर को प्रमाणित करने वाले इसी तरह के अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।

(क) आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति: (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है और इस आवेदन के साथ प्रदान की गई जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार होगा।

(ख) संपर्क व्यक्ति: (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

(ग) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी भी बदलाव के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देते हैं।

3. उक्त उपकरण के उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों और उनका मूल्य मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और अनुमान के अनुसार इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्रियाँ	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
पिछले वर्ष से तक			
चालू वर्ष से तक (अनुमान)			

4. एक लाख रुपये या पच्चीस हजार रुपये का लेबल सुरक्षा शुल्क (जैसा भी मामला हो) का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा तारीख को किया गया है। (केवल लेबल सुरक्षा शुल्क जमा करने के समय ही भरा जाना है)।

5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी पूछताछ के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत हैं।

7. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को अधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

8. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में प्रदान की गई जानकारी, मेरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है; आवेदन को तत्काल खारिज किया जा सकता है।

तारीख (वर्ष) का दिन

हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम

के लिए ओर की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मोहर

अनुबंध क-1

[फार्म 1-(क) का पैरा 2 देखें]

1. कंपनी के विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
पंजीकरण के समर्थन में अनुलग्नक:	हाँ/नहीं
(क) विनिर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़	
(ख) ट्रेडमार्क प्रमाण पत्र	
(ग) लघु उद्योग प्रमाण पत्र, यदि लागू हो	
(घ) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र	
(ङ) प्राधिकृत हस्ताक्षरी पत्र	
(च) भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस, यदि लागू हो	
(छ) भुगतान के लिए भुगतान रसीद ऑनलाइन जारी की जाती है	

2. निर्माण परिसर का विवरण (एक से अधिक निर्माण सुविधा के मामले में अलग तालिका में सूचना दी जा सकती है)

निर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
अन्य कोई विवरण (यदि कोई हो)	

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम
के लिए ओर की ओर से.....

(फर्म का नाम)

फर्म की मोहर

फार्म 1-(ख)

[विनियम 6 का उप विनियम (3) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के तहत वाशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन

महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथी मंजिल, सेवा भवन,
सेक्टर - 1, आर.के.पुरम
नई दिल्ली-110 066
भारत

1. मैं/हम ब्रांड नाम (ब्रांड का नाम) के तहत वाशिंग मशीन के पंजीकृत निर्माता हूँ और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी अद्वितीय लेबल श्रृंखला कोड है।

2. निर्माण सुविधा: उपरोक्त उपकरण _____ (कंपनी का नाम) द्वारा निर्मित या आयात किया जाता है और इसे _____ (कारखाने का नाम और पता) में निर्मित किया जाता है।

3. जानकारी के विवरण: उपकरण, कंपनी, निर्माण सुविधा, परीक्षण उत्पादों के प्रमाणन, लेबल और भुगतान के संबंध में जानकारी के विवरणों को अनुबंध में दिया गया है। फर्मों के रजिस्ट्रार या सोसायटी/उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी या फर्म के नाम और इसके निर्माण परिसर को प्रमाणित करने वाले इसी तरह के अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।

(क) आवेदक/अधिकृत व्यक्ति: _____ (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म/आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है और इस आवेदन के साथ प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार होगा।

(ख) संपर्क व्यक्ति: _____ (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के प्रयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

(ग) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में हुए किसी भी बदलाव के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देते हैं।

4. मानकों के अनुरूप: मैं/हम गुणवत्ता प्रणाली/अन्य मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो/अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईएस/अन्य (मानक का नाम और संख्या) _____ के अनुसार अनुरूप हूँ जैसाकि (उपकरण का नाम) के लिए, तारीख _____ की अधिसूचना (अधिसूचना का शीर्ष) में निर्दिष्ट किया गया है। उपरोक्त उपकरण के संबंध में लाइसेंस/प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न है।

मैंने/हमने अपनी इन-हाउस प्रयोगशाला में परीक्षण की व्यवस्था की है (नाम और पता जहां प्रयोगशाला स्थित है) _____ या स्वतंत्र प्रयोगशाला _____ में (प्रयोगशाला का नाम और पता) जो परीक्षण और जांच प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त है या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग

(आईएलएसी) उपकरणों की गुणवत्ता में स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रासंगिक भारतीय मानक / अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) / अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) मानकों के दायरे में निर्दिष्ट के अनुसार है जैसाकि का. आ. ... में निर्दिष्ट है।

प्रयोगशाला के विवरण:

क) प्रत्यायन बोर्ड:

ख) प्रत्यायन की स्थिति:

(i) प्रयोगशाला के लिए: (हां/नहीं)

(ii) परीक्षण मानकों के लिए: (प्रासंगिक उत्पाद मानक का नाम / संख्या निर्दिष्ट करें)

(iii) प्रासंगिक परीक्षण विधि के लिए (परीक्षण का नाम निर्दिष्ट करें)

5. उक्त उपकरण के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े और उनका मूल्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के अनुसार इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्रियाँ	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
पिछले वर्ष _____ से _____ तक			
चालू वर्ष _____ से _____ तक (अनुमान)			

6. (क) दो हजार रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान तारीख को इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा किया गया है।

(ख) एक लाख रुपये या पच्चीस हजार रुपये के लेबल सुरक्षा शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा किया गया है।

(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी पूछताछ के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत हैं।

8. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को अधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

9. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में प्रदान की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और यदि प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है; आवेदन को तत्काल खारिज किया जा सकता है।

तारीख(वर्ष) का दिन

नाम

भवदीय,

हस्ताक्षर

पदनाम.....

के लिए और की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मोहर

अनुबंध क-2

[फार्म 1 (ख) का पैरा 3 देखें]

जानकारी के विवरण

1. उत्पाद/उपकरण विवरण**1.1 सामान्य**

विनिर्माता/प्रयोगशाला का नाम			
पता			
प्राप्ति की तारीख (स्वतंत्र प्रयोगशालाओं के लिए)			
परीक्षण मानक का पालन किया गया			
परीक्षण रिपोर्ट संख्या		परीक्षण की तारीख	
परीक्षणकर्ता का नाम		समीक्षकर्ता का नाम	

1.2 तकनीकी विवरण

ब्रांड का नाम		मॉडल संख्या	
मॉडल का नाम		विनिर्माण का वर्ष	
वाशिंग मशीन का प्रकार		सेमी ऑटो/टॉप लोड/फ्रंट लोड	
		क्या इन-बिल्ट हीटर मौजूद है? (हाँ/नहीं)	
क्रमांक		धुलाई/खंगालने के कार्यक्रम का पालन किया गया	
क्षमता (कि. ग्रा.)		धुलाई प्रदर्शन (%)	
खंगालने का प्रदर्शन		प्रति चक्कर पानी की खपत (लीटर/कि. ग्रा.)	
शेष नमी सामग्री (आरएमसी) (%)			

ऊर्जा खपत प्रति चक्र (किवा घंटा/किग्रा/चक्र) कॉटन 30 o सेंटीग्रेड	
स्टार रेटिंग	

2. कंपनी के विवरण

कंपनी का नाम:	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

3. निर्माता परिसर के विवरण

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विवरण	
प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

4. प्रयोगशाला के विवरण

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
---------------------------	--

प्रत्यायन की स्थिति (मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
मान्यता की वैधता (समर्थन दस्तावेज संलग्न करें)	
प्रत्यायन का क्षेत्र	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	

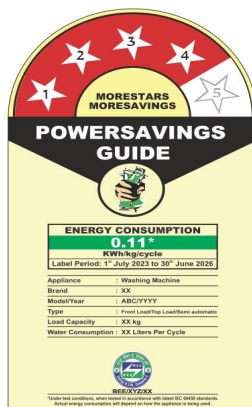
5. लेबलिंग की जानकारी

प्रारंभ होने की तिथि	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए लागू लेबलों की संख्या प्रथम वर्ष के लिए - दूसरे वर्ष के लिए - तीसरे वर्ष के लिए - उत्पाद क्रम संख्या	
उत्पाद क्रमांक	_____ से _____ तक

6. भुगतान विवरण

	कुल राशि	भुगतान की तारीख (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विवरण)
लागू शुल्क		
जमा प्रतिभूति		

7. वाशिंग मशीन पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है:



तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और की ओर से

(फर्म का नाम)/फर्म की मोहर

फार्म 2 – (क)

[7 (1) (क) का विनियम देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के तहत वाशिंग मशीन के ब्रांड के पंजीकरण हेतु अनुमति

नई दिल्ली, तारीख

सेवा में

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो आपको इस पत्र के अनुबंध क-3 में निर्धारित अनुमोदन के विवरणों के अनुसार अपने ब्रांड को पंजीकृत करने की अनुमति देता है।
2. यह अनुमति निम्न के अधीन है-
 - (क) वाशिंग मशीन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार का स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत अधिसूचित वाशिंग मशीन के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानकों और पूर्वोक्त विनियमों में प्रदान गई शर्तों के अनुरूप होगा;
 - (ख) वाशिंग मशीन के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल की मुहर लगाई जाएगी जिसके लिए अनुमति दी गई है;
 - (ग) लेबल उत्पाद वाशिंग मशीन पर चिपकाया जाएगा और अनुज्ञप्तिधारक की लागत पर उत्पाद की पैकेजिंग पर मुद्रित/चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करेगा कि वाशिंग मशीन पर प्रदर्शित स्टार का स्तर हर समय बनाए रखा जाए;
 - (ङ) अनुज्ञप्तिधारक ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञप्तिधारक ब्यूरो को वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद के महीने के अंदर, प्रत्येक तिमाही के लिए लेबल किए गए उपकरणों के उत्पादन और अर्जित लेबलिंग शुल्क के विवरण के साथ विवरण प्रस्तुत करेगा। यही विवरण ब्यूरो को भी एक स्वतः प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
 - (छ) अनुज्ञप्तिधारक, अनुमति दी गई वाशिंग मशीन के ऐसे अन्य विवरण उपलब्ध कराएगा जिन्हें ब्यूरो द्वारा मांगा जाएगा।
3. अनुज्ञप्तिधारक वैधता अवधि के दौरान ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना पंजीकृत ब्रांड और वाशिंग मशीन को बाजार से वापस नहीं लेगा।
4. ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट अद्वितीय लेबल श्रृंखला कोड है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार यह लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
5. हस्ताक्षरित, मोहरबंद और तारीख दिन मास वर्ष

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुबंध क-3
[फार्म 2-(क) का पैरा देखें]
अनुमोदन के विवरण

1. कंपनी के विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	

2. पंजीकृत ब्रांड का नाम:

3. अद्वितीय श्रृंखला कोड:

4. अन्य विवरण यदि लागू हो:

तारीख:

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

फार्म 2 (ख)

[उप-विनियम 7(1)(ख)]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के तहत वाशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुमति/नवीकरण की अनुमति

नई दिल्ली, तारीख

सेवा में

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो आपको इस पत्र के अनुबंध क-4 में निर्धारित अनुमोदन के विवरण के अनुसार मुहर लगाने और प्रिंट करने या लेबल लगाने की अनुमति देता है।

2. यह अनुमति निम्न के अधीन है -

(क) वाशिंग मशीन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार का स्तर वाशिंग मशीन के लिए अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत अधिसूचित ऊर्जा प्रदर्शन मानकों और पूर्वोक्त विनियमों में प्रदान की गई शर्तों के अनुरूप होगा;

(ख) वाशिंग मशीन के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल लगाया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;

- (ग) लेबल को अनुज्ञप्तिधारक की लागत पर वाशिंग मशीन पर मुद्रित और चिपकाया जाएगा;
- (घ) अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करेगा कि वाशिंग मशीन पर प्रदर्शित स्टार का स्तर हर समय बनाए रखा जाए;
- (ङ.) अनुज्ञप्तिधारक प्रति लेबल तीस रुपये (30 रुपये) के लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
- (च) अनुज्ञप्तिधारक ब्यूरो को वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद के महीने के अंदर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबल किए गए उपकरणों के उत्पादन और अर्जित लेबलिंग शुल्क के विवरण के साथ एक विवरण प्रस्तुत करेगा। यही विवरण ब्यूरो को भी स्वतः प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;
- (छ) अनुज्ञप्तिधारक, अनुमति दी गई उस वाशिंग मशीन के ऐसे अन्य विवरण, ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा।
3. यह अनुमति से..... तक के लिए मान्य होगी और इसे निर्धारित किए गए अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है। अनुज्ञप्तिधारक, अनुमति की वैधता अवधि के दौरान, ब्यूरो की पूर्व स्वीकृति के बिना, वाशिंग मशीन को बाजार से वापस नहीं लेगा।
4. उपकरण के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट अद्वितीय लेबल श्रृंखला कोड है और अनुमोदित डिज़ाइन के अनुसार यह लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
5. जहां केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा करने पर स्टार स्तर की योजनाओं को संशोधित किया जाता है, वाशिंग मशीन का स्टार स्तर निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा: -
- (क) यदि नया मॉडल संशोधित स्टार स्तर के साथ सिंक्रनाइज़ करते हुए लॉन्च किया जाता है तो नया स्टार स्तर प्रभावी होने की तारीख से छ महीने पहले, इस तरह की अनुमति के लिए आवेदन ब्यूरो को प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ख) जहां मौजूदा मॉडल, संशोधित स्टार स्तर को प्रभावी बनाना जारी रखा जाता है, केवल फॉर्म 4 में एक घोषणा ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी।

6 हस्ताक्षरित, मोहर और तारीख दिन मास वर्ष

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[फार्म 2 का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों के विवरण

1. उपकरण के विवरण

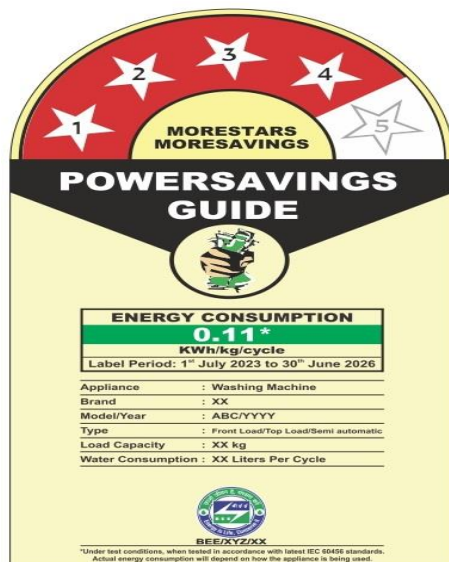
उपकरण/साधन
टाइप (सेमी-ऑटोमैटिक, टॉप लोड, फ्रंट लोड)
मॉडल का नाम / निर्माण का वर्ष
निर्माता/आयातक का नाम
मूल्यांकित क्षमता
जल प्रदर्शन (मृदा निवारण %)
जल निकासी प्रदर्शन
खंगालने का प्रदर्शन
कार्यक्रम
इन-बिल्ट हीटर
ऊर्जा की खपत प्रति किग्रा/चक्र/कार्यक्रम
पानी की खपत प्रति किग्रा/चक्र/कार्यक्रम

क्र. सं.	मॉडल नाम/संख्या	मापित मूल्य		मूल्यांकित मूल्य	
		क्षमता (किग्रा)	प्रति किग्रा प्रति चक्र ऊर्जा की खपत	क्षमता (किग्रा)	प्रति किग्रा प्रति चक्र ऊर्जा की खपत

2. लेबल विवरण

उपकरण	
प्रकार	
मॉडल का नाम/निर्माण का वर्ष	
स्टार स्तर	
निर्धारित क्षमता	
ऊर्जा की खपत (प्रति किग्रा प्रति चक्र)	
उद्गम देश	
अद्वितीय श्रृंखला कोड	

3. वाशिंग मशीन पर चिपकाए जाने वाले ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है।



पत्र में दिए गए अद्वितीय लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख वाशिंग मशीन पर चिपकाए गए लेबल में किया जाना है।

4. लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग योजना की सामग्री अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मोहर

फार्म III

[विनियम 7 का उप-विनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अनुज्ञप्तिधारक का रजिस्टर (टेम्पलेट)

क्र.सं.	आवेदन संख्या और अनुमति की तारीख	अनुज्ञप्तिधारक का नाम और विवरण (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल, वेबसाइट)	उपकरण के विवरण जिसके लिए अनुमति दी गई है	घोषित स्टार स्तर या दक्षता स्तर	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुमति संख्या और अद्वितीय लेबल श्रृंखला	अवधि जिसके लिए अनुमति दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल सुरक्षा राशि	प्राप्त लेबल सुरक्षा शुल्क (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विवरण): तारीख :)	प्राप्त आवेदन शुल्क राशि के विवरण (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विवरण): तारीख :)
(8)	(9)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को देय लेबलिंग शुल्क की राशि	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त लेबलिंग शुल्क विवरण (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन विवरण): तारीख:)	टिप्पणी
(12)	(13)	(14)	(15)

फार्म 4

[विनियम 7 का उप-विनियम (7) देखें]

मौजूदा मॉडल पर लेबल लगाने की अनुमति जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञप्तिधारक द्वारा घोषणा
(प्रत्येक अलग मॉडल के लिए, संबंधित अनुबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)
निगमित निकाय/अनुमति प्राप्तकर्ता के पत्र शीर्ष पर)

तारीख:

सेवा में
महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथी मंजिल, सेवा भवन,
सेक्टर 1, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली-110 066
भारत

विषय: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के अनुसार से प्रभावी स्टार स्तर के संशोधन पर लेबल लगाने की अनुमति हेतु आवेदन

1. मैं/हम वाशिंग मशीन के निर्माता/आयातक हूँ जो [कंपनी का नाम पूरे पते के साथ] [व्यक्तिगत या फर्म का पूरा नाम] शैली के तहत व्यापार कर रहे हैं, इसके द्वारा वाशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है जो

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर इसके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2023 में स्टार स्तर के संशोधन के लिए प्रभावी होगा।

2. उपरोक्त उपकरण [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा निर्मित या आयात किया जाता है और (कारखाने का नाम और पता) में निर्मित या (आयातक का नाम और पता) से आयात किया जाता है।

3. नए स्टार स्तर के अनुरूप: मैं/हम तालिका के अनुसार तालिका परिवर्तन ... के अनुरूप हैं जैसा कि वाशिंग मशीन के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या तारीख के अनुसार है। उपरोक्त उपकरण (जो पहले अनुमोदित किया गया था) के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की एक प्रति संलग्न है।

4. वाशिंग मशीन के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के संशोधन के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।

5. स्टार स्तर के संशोधन के अनुसार उपकरण/मॉडल के विवरण

मॉडल का नाम - _____

विवरण	घोषित मूल्य	
मूल्यांकित क्षमता		
पानी की खपत प्रति चक्र/कार्यक्रम		
प्रति चक्र ऊर्जा की खपत	--	
स्टार रेटिंग	(मौजूदा स्टार स्तर के अनुसार)	(संशोधित स्टार स्तर के अनुसार)

6. मैं/हम मैनुअल अनुप्रयोग के साथ-साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार लेवल को [मौजूदा स्टार लेबल लेवल] से [संशोधित स्टार लेबल स्तर] में बदलने के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैंने उक्त वाशिंग मशीन मॉडल के लिए आज तक का अपना त्रैमासिक उत्पादन डेटा और लेबलिंग शुल्क जमा कर दिया है।

8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी पूछताछ के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत हैं।

9. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को अधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

10. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में प्रदान की गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और यदि आपूर्ति की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन को तत्काल अस्वीकार किया जा सकता है।

तारीख:(वर्ष का) दिन

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मोहर

फार्म 5

[विनियम 11 (3) देखें]

अनुज्ञाधिकारक को चुनौती परीक्षण/दूसरा परीक्षण देखने की सूचना

सेवा में

नई दिल्ली, तारीख

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर इसके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख द्वारा आपको, उसमें निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन, वाशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

2. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर इसके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम 2023 के विनियम 11 के तहत, आपके अधिकृत वितरक/डीलर/खुदरा विक्रेता से चालान संख्या के माध्यम से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार लेबल वाली वाशिंग मशीन दिनांक को रुपये की कीमत और स्वतः परीक्षण या चुनौती परीक्षण के उद्देश्य के लिए ____ द्वारा तारीख को नमूने के रूप में ली गई थी। नमूने को उपरोक्त विनियमों के विनियम 3 के तहत लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एजेंसी मैसर्स द्वारा खरीद गया था जिसे आपके द्वारा उपरोक्त खरीदी गई वाशिंग मशीन पर चिपकाया गया था। मैसर्स द्वारा क्रमांक संख्या ----- विधिवत सील किया गया नमूना मैसर्स से प्राप्त किया गया था। (वितरक, डीलर, खुदरा विक्रेता का नाम) जिस पर सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हैं।

3. ब्यूरो ने अपनी उपरोक्त सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूने को मैसर्स----- को भेज दिया था जो अधिसूचना संख्या का. आ. के अनुबंध में दिए गए प्रपत्र के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए अधिसूचना संख्या का. आ. तारीख के पैराग्राफ 3, 4 और 5 में निर्दिष्ट परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है।

4. उत्पाद के विवरण और स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न हैं। इसलिए, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, ब्यूरो स्वतः परीक्षण/चुनौती परीक्षण (जैसा लागू हो) (तारीख) को (प्रयोगशाला का नाम) कर रहा है जो परीक्षण और जांच प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है।

5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के प्रावधानों के अनुसार (वाशिंग मशीन विनियम 2023 के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका, ब्यूरो एतद्वारा सूचित करता है -

(i) उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि पर चुनौती परीक्षण/द्वितीय परीक्षण देखने के लिए किसी एक अधिकारी का नामांकन, अधिकारी के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर (मूल रूप में) दर्शाते हुए प्राधिकार पत्र के साथ (पत्र पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाया जाएगा) नामित करें।

(ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर खरीद, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक खर्चों की लागत जमा करें (व्ययों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जमा किया जाएगा) जैसा कि अनुबंध में उल्लेख किया गया है।

6. आप नोट कर सकते हैं कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या द्वितीय परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा, भले ही उपरोक्त व्यय समय पर नहीं किए गए हों या अधिकारियों को निर्दिष्ट किए गए के अनुसार नामित नहीं किया गया हो और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियम 11 के उप-विनियम (5) (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम 2023 के अनुसार इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा।

7. हस्ताक्षर, मोहर और तारीख.....महीने का दिन वर्ष।

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुलग्नक:

1. उत्पाद का विवरण/स्वतः परीक्षण के परिणाम
2. अनुबंध 5 (क)
3. व्ययों से संबंधित चालान

अनुबंध

[फार्म 5 का पैरा 5 देखें]

जानकारी के विवरण

1. चुनौती परीक्षण/द्वितीय परीक्षण के लिए चुने गए उत्पाद या उपकरण विवरण

ब्रांड का नाम:	
अद्वितीय लेबल श्रृंखला कोड:	
मॉडल का नाम/मॉडल संख्या:	
वाशिंग मशीन का प्रकार:	
धुलाई प्रदर्शन (मिट्टी निवारण %):	
धुलाई निष्कर्षण प्रदर्शन:	:
खंगालने का प्रदर्शन:	
कार्यक्रम:	
इन-बिल्ट हीटर:	
ऊर्जा की खपत :	
पानी की खपत:	
निर्माण का वर्ष:	
स्टार रेटिंग या स्टार स्तर:	

2. ब्यूरो के पास जमा की जाने वाली राशि:

विवरण	संख्या/व्यय (भारतीय रुपये में)
नमूनों की संख्या	
लागत प्रति नमूना	
कुल क्रय लागत	
कुल परीक्षण शुल्क	
परिवहन शुल्क (यदि लागू हो)	
अन्य (यदि लागू हो)	
अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि	

3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो):

ब्रांड	मॉडल	मूल्यांकित क्षमता	प्रति किग्रा प्रति चक्र मूल्यांकित ऊर्जा की खपत	प्रति चक्र प्रति किलो ऊर्जा खपत का परीक्षण मूल्य	स्टार रेटिंग (घोषित)	स्टार रेटिंग (जांच परीक्षण)	टिप्पणी

तारीख

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

फार्म 6

[विनियम 11 का उप-विनियम (5) देखें]

द्वितीय जांच परीक्षण की विफलता पर अनुज्ञप्तिधारक को दिशा-निर्देश

सेवा में

नई दिल्ली तारीख

.....

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर इसके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख द्वारा वाशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी जो उसमें निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन थी।

2. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर इसके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के विनियमन के तहत, आपके अधिकृत वितरक, डीलर, रिटेलर से जिसका चालान संख्या तारीख है तथा इसकी लागत रुपये है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के स्टार लेबल वाली वाशिंग मशीन खरीदी थी जिसे मैसर्स द्वारा तारीख को नमूने के रूप में लिया गया था जो उपर्युक्त विनियमों के विनियम 3 के तहत लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए, जिसे आपके द्वारा पूर्वोक्त खरीदी गई वाशिंग मशीन पर चिपकाया गया है, यह ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक एजेंसी है। विधिवत रूप से सील किया गया नमूना क्रम संख्या को मैसर्स (वितरक का नाम) से प्राप्त किया गया था जिस पर वितरक, डीलर, खुदरा विक्रेता सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है।

3. ब्यूरो ने अपनी उपरोक्त सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूने को मैसर्स को परीक्षण और जाँचने के लिए प्रयोगशाला को पहुँचाने दिया था जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का. आ. संख्या तारीख के पैराग्राफ 4 और 5 में इंगित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है और जो का. आ. संख्या तारीख के अनुबंध में दिए गए फार्म ... के अनुसार जांच रिपोर्ट प्रदान करती है।

4. विशिष्ट पहचान क्रम संख्या वाले नमूने पर परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट के परिणाम बताते हैं कि नमूने वाली वाशिंग मशीन ऊर्जा खपत परीक्षण को पूरा करने में विफल रही और आपके द्वारा निर्मित/आयातित वाशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुमति मांगने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न फॉर्म 1 में आपके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण विवरण के अनुरूप नहीं है। परीक्षण के परिणाम आपको आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या... तारीख..... के द्वारा भेजे गए थे। आपसे यह भी अनुरोध किया गया था कि आप परीक्षण और जांच प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला मैसर्स में नमूनों की दूसरी जांच सत्यापन जांच में भाग लें और उसका गवाह बनें।

5. दूसरी जांच परीक्षण के लिए हमारी अधिकृत एजेंसी मैसर्स..... के माध्यम से नमूना ... को तारीख ... को लिया गया था और इसे परीक्षण और जांच प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को ले जाने के लिए हमारी अधिकृत एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को मैसर्स द्वारा विधिवत मुहरबंद ... और सत्यापन एजेंसी और साथ ही आपके प्रतिनिधि, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के तहत प्राप्त उक्त नमूने पर विशिष्ट पहचान क्रम संख्या अंकित की गई थी।

6. द्वितीय जांच परीक्षण के परीक्षण परिणाम संलग्न हैं जिनकी विधिवत जांच की जाती है और इन पर परीक्षण तथा जांच प्रयोगशाला, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कर्मियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाते हैं। परीक्षण रिपोर्ट भी आपके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दूसरी जांच परीक्षण के गवाह के रूप में विधिवत हस्ताक्षरित है। परीक्षण के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे का. आ. संख्या ... तारीख ... में दिए गए अपेक्षित मापदंडों और मानकों को पूरा करने में और बाजार में निर्मित/आयातित और बेची जाने वाली वाशिंग मशीन पर लगे लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए आपको दी गई अनुमति के नियम और शर्तें पूरी करने में विफल रहें।

7. इसलिए, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीके) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो इसके द्वारा निर्देश देता है कि:-

- (i) वाशिंग मशीन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को सही करें या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करें;
- (ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरणों को बदलें।

8. आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो महीने के अंदर उपरोक्त सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करने और दो महीने की समाप्ति के 10 दिनों के अंदर अर्थात्..... तक फॉर्म 6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है। उक्त तिथि तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विनियम 2023 (वाशिंग मशीन पर विवरणों और उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) के विनियम 11 के उप-विनियम (6) के खंड (ख) के अनुसार कार्रवाई करने के लिए आगे कार्रवाई करेगा।

9. ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विनियम, 2023 (वाशिंग मशीन पर विवरणों और उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) के विनियम 11 के विनियमों (5) (6) (7) और (8) के संदर्भ में मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुलग्नक:

1. विफल मॉडल की जांच रिपोर्ट
2. निर्माता के साथ हुआ पत्राचार

फॉर्म VII

[विनियम 11 का उप-विनियम (6) देखें]

कार्रवाई रिपोर्ट

(संगठन के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में

तारीख

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर.के.पुरम,

नई दिल्ली-110 066

भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, हम मैसर्स..... वाशिंग मशीन के निर्माता को वाशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई जो स्टार स्तर के ऊर्जा खपत मानक के अनुरूप है। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या..... तारीख के माध्यम से मॉडल संख्या के लिए दिया गया था।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार, हमने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख के माध्यम से आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी निर्देश के आलोक में, हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

	निर्देशित कार्रवाई	स्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए वाशिंग मशीन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करें	हाँ/नहीं/लागू नहीं	स्टार लेवल को (तारीख) से स्टार से स्टार में संशोधित किया गया है
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक को वापस ले लें। और	हाँ/नहीं/लागू नहीं	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरण बदलें।	हाँ/नहीं/लागू नहीं	हाँ/नहीं/लागू नहीं

उपरोक्त घोषणा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम

के लिए और की ओर से.....

कंपनी/फर्म आदि का नाम”

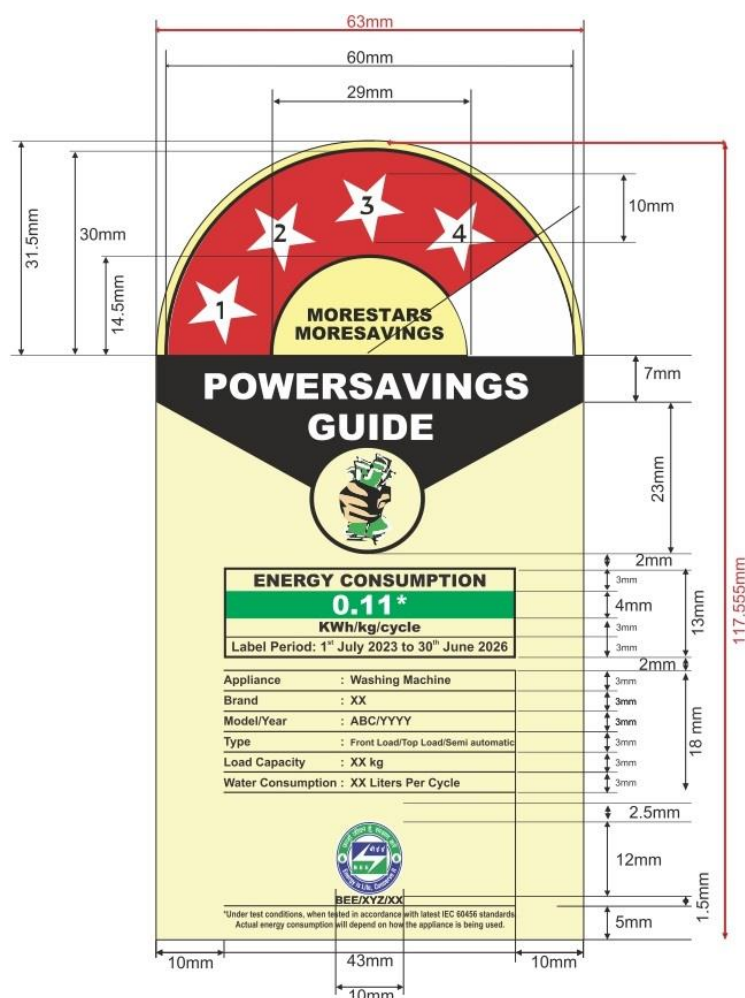
अनुसूची

[विनियम 3 का उप-विनियम (2) देखें]

वाशिंग मशीन के लेबल पर प्रदर्शित होने वाले विवरण।

(क) लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना और लेबल की सामग्री में शामिल होंगे: -

(i) लेबल के निम्नलिखित आयामी डिजाइन अर्थात्: -



(ii) लेबल के लिए निम्नलिखित रंग योजना अर्थात्:-



नीला -

ह्यू (एच) -239o संतृप्ति (एस): 64% चमक (बी): 59%

चमक या हल्कापन (L):28, रंगीन घटक -a:24 b:54

लाल (आर): 54 हरा (जी): 55 नीला (बी): 151

सियान (सी): 97% मैजेंटा (एम): 95% पीला (वाई): 6% काला (के): 1%

वेब कलर कोड - #363797

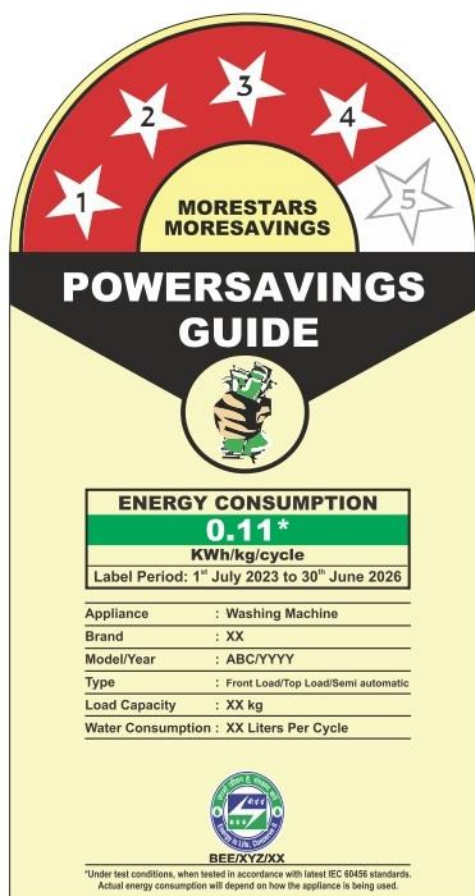
हरा -

ह्यू (H)-150o संतृप्ति (S):10% चमक (B): 67%, चमक या हल्कापन (L):61, रंगीन घटक -a:53 b:32, लाल(R):0 हरा

(G)):170 नीला(बी):87

सियान (सी): 81% मैजेंटा (एम): 10% पीला (वाई): 90% काला (के): 1%, वेब रंग कोड - #00AA56;

(iii) वाशिंग मशीन पर निम्न लेबल लगाया जाना चाहिए:-



(2) लेबल सामग्री

यदि इसे स्विंग टैग के रूप में जोड़ा जाना है तो लेबल टिकाऊ कार्डबोर्ड का होगा या स्वयं चिपकने वाला होना चाहिए और लेबल के लिए आयाम डिजाइन योजना में दिखाई गई आउटलाइनों में से एक में कटौती की जाएगी।

अभय बाकरे, महानिदेशक

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2023

No. BEE/S&L/WM/06/22-23.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency (the Bureau) with the previous approval of the Central Government, proposes to notify the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine) Regulation 2023, the proposed draft regulations are hereby published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and inviting their suggestions and objections (if any); and the notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of their publication in the Gazette of India, Extraordinary;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, North Wing, Sector-1, R.K. Puram, New Delhi-110066 and may also be sent at the e-mail address of the Bureau at dg-bee@nic.in;

Objections or suggestions which may be received from the persons with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above, shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine), Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition:** - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);

(b) “Form” means a form appended to these regulations;

(c) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the Washing Machine;

(d) “label period” means the validity period of per-cycle energy consumption per kg under energy performance standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act:

Provided that if, by the ending timeline of the label validity period, the new energy performance standards under section 14(a) of the Act are not notified, the existing standards shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;

(e) “permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;

(f) “Washing Machine” means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;

(g) “Star rating or star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the washing machine based on energy consumption per cycle notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act. The available stars are between a minimum of one and a maximum of five shown in one star interval.

(h) “trader or seller” in relation to any washing machine means a person who sells or distributes such washing machine and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such washing machine.

(i) “Schedule” means the Schedule annexed to these regulations;

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Particulars to be displayed on label.** - (1) On every washing machine, the following particulars shall be displayed on its label, namely: -

- (a) Star level;
- (b) The logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (c) name of appliance;
- (d) brand/make;
- (e) model/ year of manufacturing or import;
- (f) type of washing machine;
- (g) load Capacity;
- (h) water Consumption;
- (i) unique label series code;
- (j) label period.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.—

(1) **Transition from Voluntary to Mandatory regime.**- A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every washing machine within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) **Revision of Mandatory Energy performance standards.**- On and from commencement of revised energy performance standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller-

- (a) shall not produce the washing machine with the previous energy performance standards;
- (b) the washing machine shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the washing machine in synchronization with revised energy performance standards;
- (c) All preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken three months in advance.

5. Manner of display of label. -

- (1) There shall be label on every washing machine which shall displayed at the point of sale and such label shall be affixed on washing machine in the following manner, namely:-
 - (i) The label shall be firmly affixed at the front display of each appliance and should be easily visible as referred in sub-regulation (2) of regulation 3 and the permittee shall ensure that the label appears on every registered unit or model on display for identification purpose, at point of sale or hire and the label shall also be printed or pasted to the exterior to the casing containing the unit or model.
 - (ii) The label shall be of self – adhesive material. The markings required by the schedule shall be legible, indelible and durable.
- (2) For units not on display, the label may be printed or pasted to the exterior to the casing and this label may be attached to the unit or model when the unit or model is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.

6. Permission for display of label. - (1) No star label shall be affixed on a washing machine without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) **Company registration. -** For the purposes of obtaining permission of the Bureau, an application for registration shall be made for every brand separately as specified in Form I-(A), accompanied by a label security deposit of One lakh rupees, payable by acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

(3) **Model registration. -** Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

(a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and

(b) a label security fee of one lakh rupees, payable in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi; by acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry label security fee shall be only twenty -five thousand rupees; and

(a) documents specified in Form I – (B).

7. Grant of permission. - (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in DISHA (Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling) subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, –

(a) register the brand in Form II-(A) in electronic form; and

(b) grant permission for affixing label on washing machine in Form II-(B) in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level as specified in the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act is in force.

(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

(5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.

(6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II-B.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the washing machine from the date from which the revised star level comes into force, shall submit only a declaration in Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the washing machine is planned to be launched to synchronise with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label. - Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-

- (a) the star level displayed on the label of washing machine shall conform to energy performance standards for washing machine notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) the label shall be affixed only on such model of washing machine for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the washing machine at the cost of permittee;
- (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of washing machine shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
- (h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Manual on Standard and Labelling.

9. Label fee. - (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of INR 30/- (rupees thirty only) for each label affixed on the washing machine.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten percent per annum from the label security deposit paid made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6, and if complete labelling fees are not recovered within one year of the

last date of submission, the Bureau may cancel the permission to labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the national or regional daily newspapers and in electronic means as a defaulter.

10. Refund of label security fee. - Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security deposit, on ceasing to manufacture washing machine.

11. Verification by Bureau. - (1) The Bureau or its designated agency may, either suo motu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the washing machine conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

All test includes wash performance, rinse performance, energy consumption, water consumption and water extraction performance (residual water content)

(2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the washing machine in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL),-

(a) The Bureau shall issue a notice to the permittee in form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau.

(b) if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and

(c) where the equipment passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall be forfeited.

(4) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), if the permittee fails to deposit such expense referred to in sub-regulation (3) within such time, the Bureau shall-

(a) continue the verification by challenge testing the washing machine referred to in sub-regulation (3); and

(b) the processing of application received under regulation 6 may be kept in abeyance till such expense are deposited.

(5) Where samples of washing machine used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the Bureau shall offer the permittee, another opportunity and conduct a second test with twice the quantity of washing machine used in the first test, in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) at the cost of the permittee. The Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.

(6) Where the second test fails, the Bureau shall, -

(a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee within a period of two months shall, -

(i) correct the star level displayed on the label of the washing machine or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months;

(c) Intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(7) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (6),-

(a) send the compliance report in Form VII to Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(8) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.

(9) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall, -

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy performance standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (7) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

(c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;

(d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission. - The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee—

(a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;

(c) does not comply with the direction issued under regulation 11.

Provided that no permission shall be cancelled unless the permittee has been given an opportunity of being heard in the matter.

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Extty./573/2022-23]

FORM I – (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed in Company letter head)

Application for registration of brand of washing machine under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of washing machine) Regulations, 2023

The Director General
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066 India.

I/We am/are the manufacturer/manufacturers of washing machine carrying out business at.....
(full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on washing machine as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Washing Machine) Regulations, 2023.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure A-I. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm etc. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

(b) Contact person: (Name and designation) is authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above.

3. Production and sale figures of the said equipment and the value there of to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from..... to.....			
Current year from..... to..... (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees (as the case may be).....has been paid by electronic mode.....dated..... (To be filled only at the time of submission of label security fee).

5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.

6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated this Day of(Year)

Signature.....

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure A-I

[See para 2 of Form I – (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	Yes/No
(b) Trade mark certificate	

(c) Small scale industries Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorised signatory letter	
(f) Bureau of Indian standards license, if applicable	
(g) payment receipt for payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

Seal of the Firm

FORM I- (B)

[See sub regulation (3) of regulation 6]

Application for permission to affix label on Washing Machine under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector – 1, R.K.Puram

New Delhi-110 066

India.

1. I/We are registered manufacturer of Washing Machine under the brand name.....(Name of the brand) and the unique label series code issued by Bureau of Energy Efficiency is

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by _____ (Name of the company) and is manufactured at _____ (Name and address of the factory)

3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/authorized person: _____ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.

(b) Contact Person: _____ (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above

4. Conformance to Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) _____ as specified in the notification on _____ (title of the notification) for the _____ (name of the equipment). A copy of the License / certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory (name and address where lab is located) _____ or at independent laboratory _____ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) or any other International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian Standard/ International Standard Organization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) standards as specified in S.O.....

Laboratory details:

- a) Accreditation Board:
- b) Accreditation status:
 - (i) For Laboratory: (Yes/No)
 - (ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name / number)
 - (iii) For relevant test method (specify name of the test)

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from _____ to _____			
Current year from _____ to _____ (estimate)			

6. (a) An application fee of two thousand rupees....has been paid via electronic mode..... dated

(b) A Label security fee of one lakh rupees or twenty five thousand rupees _____ has been paid by electronic mode.

(c) I/We agree to pay the labeling fee as specified by the Bureau.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the bureau in case of any enquiry to be made by it.

8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated this day of (Year)

Yours Faithfully,

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure A-II
[See para 3 of Form I (B)]
 Details of Information

1. Product/Equipment Detail**1.1 General**

Manufacturer/Laboratory Name	
Address	
Date of Receipt (for Independent Labs)	
Test standard followed	
Test Report No.	Date of testing
Tested by	Reviewed By

1.2 Technical details

Brand Name	Model No.
Model Name	Year of Manufacturer
Washing machine type	Semi Auto/Top load/Front load
	In-built heater present? (Yes/no)
Serial No.	Wash/rinse programme followed
Capacity (kg)	Wash performance (%)
Rinse performance	Water consumption per cycle (L/kg)
Remaining moisture content (RMC) (%)	

Energy consumption per cycle (kWh/kg/cycle) Cotton 30 ° C /Cotton 60 ° C	
Star Rating	

2. Details of the company

Name of the company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Name of the Authorized representative	

3. Details of the manufacturing premise

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Any other details	
Name of the Authorized representative	

4. Details of test laboratory

Name of the test Laboratory	
Accreditation status (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Scope of Accreditation	

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

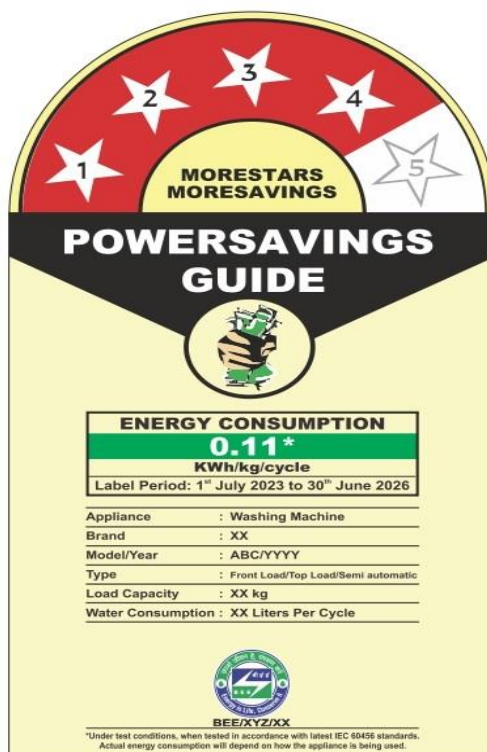
5. Labeling information

Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of Energy Efficiency for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	From _____ To _____

6. Payment details

	Total Amount	Details of Payment (electronic payment details)
Application Fee		
Security Deposit		

7. Specimen of the label to be affixed on the washing machine is shown below:



Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm) / SEAL OF FIRM

FORM II – (A)

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of washing machine under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023

New Delhi, dated.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine) Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure A-III to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the washing machine shall conform to energy performance standards for washing machine notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the stamping of the label only on such model of washing machine for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be affixed on the product washing machine and printed/affixed on the product packaging at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the washing machine shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
 - (g) the permittee shall make available such other details of washing machine as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the washing machine from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day of month....year.

Yours faithfully,

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure A-III**[See para 1 of Form II-(A)]****Details of Approvals****1. Details of the company**

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	

Website	
---------	--

1. Name of the brand registered:

2. Unique series code:

3. Other details if applicable:

Date:
faithfully,

Yours

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM II (B)

[Sub-regulation 7(1)(b)]

Permission / renewal of permission to affix label on Washing Machine under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023

New Delhi, dated the.....

To

.....
.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their display on Labels of Washing Machine**) Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to stamp and print or affix label as per details of approvals set out in the Annexure A-IV to this letter.

2. This permission is subject to—

- (a) the star level displayed on the label of the washing machine shall conform to energy performance standards for washing machine notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
- (b) the label shall be affixed only on such model of washing machine for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the washing machine at the cost of the permittee;
- (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the washing machine shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee of thirty rupees (INR 30) per label;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated systems;
- (g) the permittee shall make available such other details of washing machine as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.

3. This permission shall be valid for from to and may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the washing machine from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.

4. The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment is.....and should appear on the label as per the approved design.

5. Where the star level plans on review is modified by the Central Government, the star level of the washing machine shall stand modified as follows: -

(a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;

(b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.

6. Signed, sealed and dated this..... day of month..... year.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure
[See para 1 of Form II]
Details of Approvals

1. Details of the Equipment

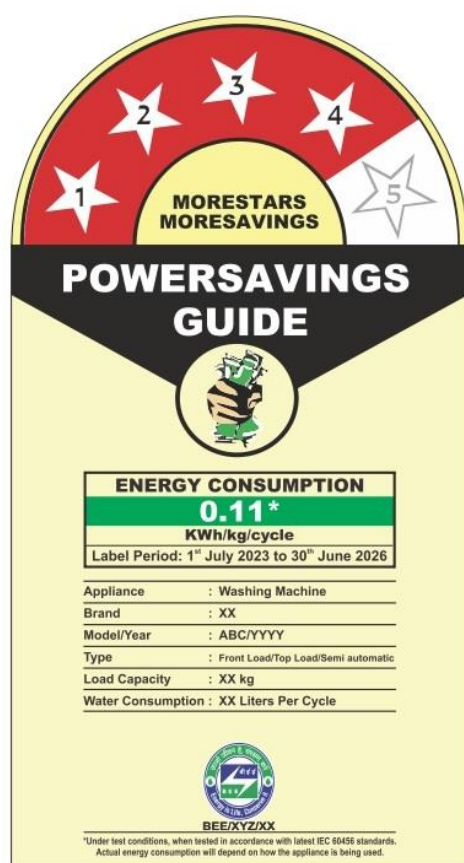
Equipment / Appliance
Type (Semi-automatic, top load, front load)
Model Name / Year of Manufacturing
Name of the manufacturer/Importer
Rated Capacity
Water Performance (Soil Removal %)
Water Extraction Performance
Rinse Performance
Program
In Built Heater
Energy Consumption per kg/cycle/program
Water Consumption per kg/cycle/program

SL. No.	Model Name/ No.	Measured values		Rated values	
		Capacity (kg)	Energy Consumption per kg per cycle	Capacity (kg)	Energy Consumption per kg per cycle

2. Label Details

Equipment	
Type	
Name of the make/manufacture/importer	
Model Name/Year of Manufacturing	
Star level	
Rated Capacity	
Water Consumption per cycle/program	
Label period	
Energy Consumption (per kg per cycle)	
Country of Origin	
Unique Series Code	

1. Specimen of the label duly approved by Bureau to be affixed on the washing machine is shown below.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Washing Machine.

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date

Signature

Name.....

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label Security Fee	Label Security Fee received by (Electronic transaction (Details): Date:)	Details of Application Fee Amount received (Electronic transaction (Details):Date:)
(8)	(9)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labeling fee payable to Bureau of Energy Efficiency for each financial year	Labeling fee details received for each financial year (Electronic transaction Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of Corporate body/Permittee)

Date:**To****THE DIRECTOR GENERAL****BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY****(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)****4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,****SECTOR 1, R.K.PURAM,****NEW DELHI-110 066****INDIA.****Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023 on revision of star level effective from**

1. I/ We are the manufacturers / importers of washing machine carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on washing machine as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023 which would go for revision of star level with effect from

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER)

3. Conformance to New Star level: I/We conform to the table change as per Table ... as specified in the notification number S.O. number, ...dated..... for washing machine. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the washing machine is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values	
Rated Capacity		
Water Consumption per cycle/program		
Energy Consumption per cycle	--	
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.
7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said washing machine model.
8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
9. I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

To

New Delhi, dated the.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023 you were permitted to affix label on the washing machine vide Bureau of Energy Efficiency letter No. dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations 2023, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled washing machine from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice number dated..... for a price of Rs..... and lifted as a sample dated ____ by ____ for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s , an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased washing machine. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number----- was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s.-----,

a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification number S.O....dated..... for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O.

4. The details of the product and the *suo motu* test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations 2023, the Bureau is conducting *suo motu* test/challenge test (as applicable) on(date) at(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine Regulations 2023, the Bureau hereby intimates to -

(i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of the company).

(ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).

6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations 2023.

7. Signed, sealed and dated this..... day of month.....year.

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Details of product/ *suo motu* test results
2. Annexure V(a)
3. Invoice related to the expenses

Annexure
[See para 5 of Form V] Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:	
Unique label series code:	
Model name/Model number:	
Type of washing machine:	
Wash Performance (Soil removal %):	
Wash Extraction Performance:	:
Rinse Performance:	
Program:	
In built Heater :	
Energy Consumption :	
Water Consumption:	
Year of Manufacturing:	
Star rating or star level:	

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

3. Results of *suo moto* test (if applicable):

Brand	Model	Rated Capacity	Rated Energy Consumption per kg per cycle	Tested value of Energy Consumption per kg per cycle	Star rating (Declared)	Star rating (Check tested)	Remarks

Date

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

FORM VI

[See sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to Permittee on failure of second check testing

To

New Delhi, dated the.....

.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine**) Regulations, 2023, you were permitted to affix label on the washing machine vide Bureau of Energy Efficiency letter No. dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under Regulation ... of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled washing machine from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice number dated for a price of Rs..... and lifted as a sample dated by M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased washing machine. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number.....was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of S.O.number dated the for giving Test Report in accordance with the Form given in Annexure to S.O.. number..... dated the

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled washing machine failed to meet the energy consumption test. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the washing machine manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide Bureau of Energy Efficiency letter No... dated.....in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

5.The Sample for second check verification Test were picked up dated the through our authorised Agency M/s. and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained from under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O.number dated, ... and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Washing Machine manufactured/imported and sold in the market .

7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine) Regulations, 2023, the Bureau hereby directs to :-

- (i) correct the star level displayed on the label of the washing machine or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within 10 days after the expiry of two months i.e. by In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b)

of sub-regulation (6) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine) Regulations, 2023.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5) (6)(7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency(Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine) Regulations, 2023.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VII

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Action Taken Report

(To be furnished on the letter head of the organisation)

To

Dated.....

THE SECRETARY,
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023, we M/s.....the manufacturer of washing machine were permitted to affix label on the washing machine conforming to the energy consumption standard of star level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by Bureau of Energy Efficiency, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the washing machine to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....
Name.....
Designation.....
For and on behalf of.....
Name of the Company/Firm etc
Seal of the Firm/Company”.

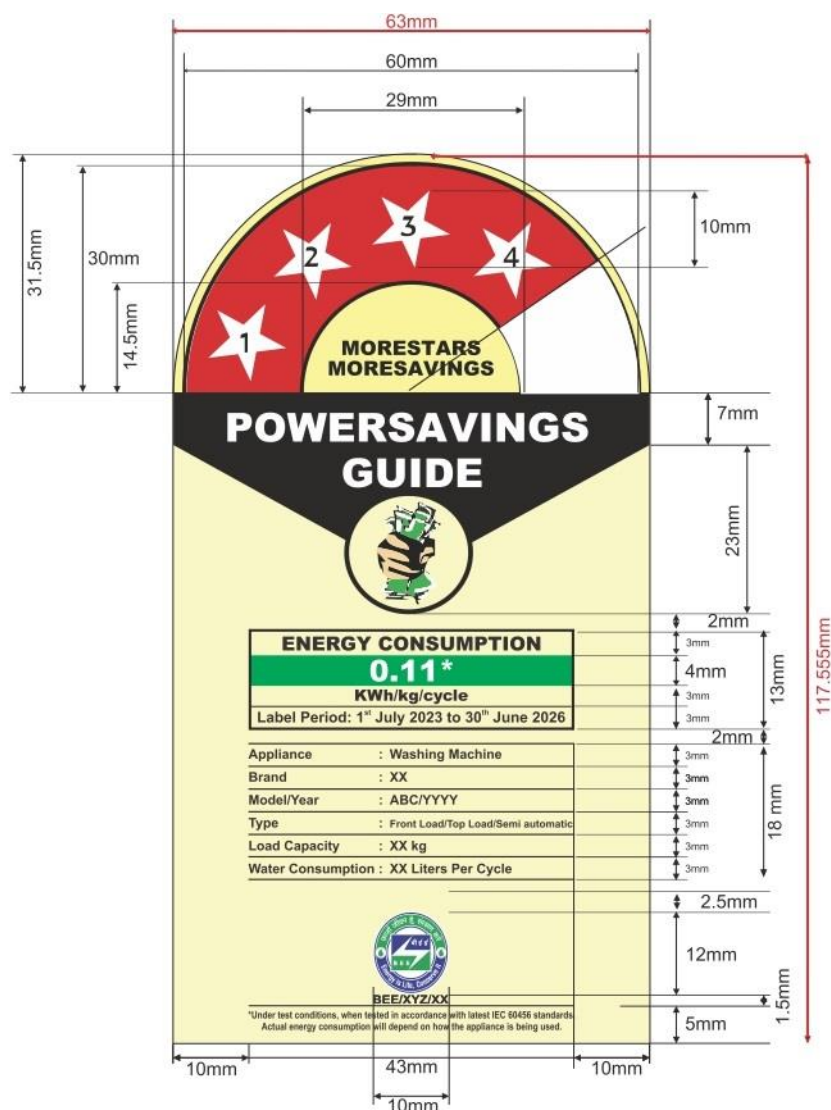
Schedule

[See sub-regulation (2) of regulation 3]

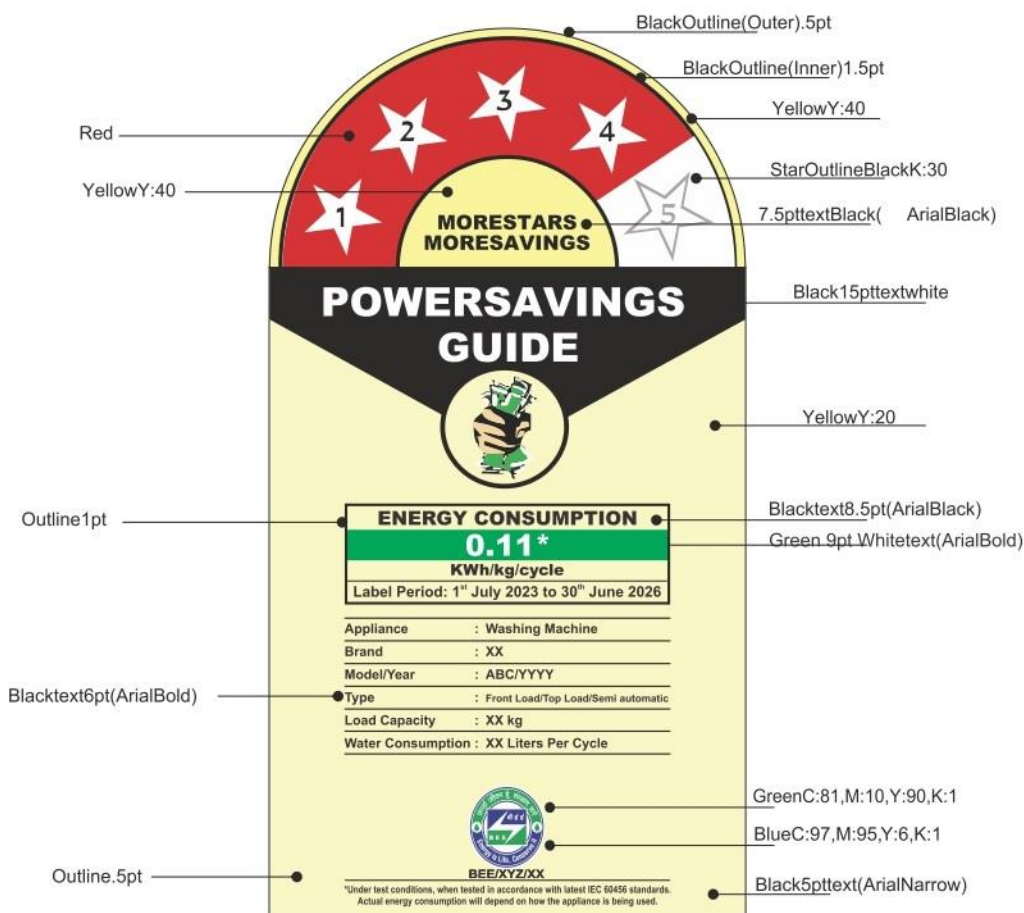
Particulars to be displayed on labels of Washing Machine.

(a) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include:-

(i) the following dimensional design of label, namely:—



(ii) the following colour scheme for the label, namely:—

**BLUE –**

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%, Luminance or lightness(L) :61, chromatic components - a:-53 b:32, Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%, Web colour code - #00AA56;

(iii) following label to be affixed on washing machine:-

(2) Label Material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label”.

ABHAY BAKRE, Director General